

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक :13/प्र0अ0(त0स0)/जोन-1/शमन/2014-15 दिनांक /09/2014

विनियमितीकरण पत्र

01-10-2014

यह विनियमितीकरण उ0प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 32 के अन्तर्गत किया जा रहा है, किन्तु अर्थ यह न समझना चाहिये कि उस भूमि के सम्बन्ध में जिस पर कार्यालय शमन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी स्थानीय निकाय या इसका स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मित्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्री रवीन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद द्वारा पार्ट आफ साईट नं0-53 सिविल स्टेशन, उपविभाजित भूखण्ड संख्या-53/4 बंगला नं0-37 लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, इलाहाबाद जोन संख्या (1) के अन्तर्गत दाखिल विनियमितीकरण मानचित्र के क्रम में निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15ए (1) के प्राविधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/अधिभोग किया जायेगा, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में उपविधि संख्या-2.1.8 एवं 3.1.8 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अनन्तिम (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C की शर्तें पूर्ण करने के पश्चात्, निर्गत किये जाने वाले 'पूर्णता प्रमाण-पत्र' प्राप्त करने के बाद ही इस परिसर को वास्तविक उपयोग में लाया जा सकेगा।
3. स्थल पर 02 अदृढ़ वृक्ष लगाने होंगे तथा वृक्षों को हरा-भरा रखने का दायित्व आवेदक का होगा।
4. प्रस्तुत शमन मानचित्र बेसमेन्ट में स्टोर, भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर कार्यालय भवन का निर्माण विनियमित किया गया है, नियमानुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर तत्काल उपयोग सुनिश्चित किया जाय।
5. स्थल का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. माननीय न्यायालय में कोई वाद होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व का अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व सम्बन्धी कोई भी विवाद सक्षम न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा ही निस्तारित किया जा सकता है।
7. यदि आवेदक द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना छिपायी गयी है अथवा गलत सूचना दी गयी है तो उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (9) के अन्तर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
8. मकान निर्माण से यदि नाली के सड़क की पटरी अथवा सड़क या नाली के किसी भाग (जो मकान के आग्र भाग, पृष्ठ भाग अथवा उसके आकार के कारण ढक गई हो) को हानि पहुँचे, तो गृहस्वामी उसे विलम्बतम 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र निर्मित किये जाने की अपेक्षा करे तो अपने खर्च से अपेक्षित समयावधि के अन्दर मरम्मत कराकर पूर्ववत् अवस्था पुनर्स्थापित करना अनिवार्य होगा।
9. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 (इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1965) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहिए। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा हटवा सकता है।
10. आवेदक को नियमानुसार विकास प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बन जाने एवं उसके पूर्ण हो जाने की सूचना मकान आबाद होने से पूर्व देना होगा तथा उस आदमी का नाम भी देना होगा जिसके निरीक्षण में मकान निर्मित हुआ है।
11. यदि निर्माण में मास्टर प्लान का उल्लंघन होता पाया गया तो निर्माणकर्ता को दी गई स्वीकृति रद्द समझी जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर उक्त अधिनियम की धारा 27 (1) के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

94/52/4280

(पुष्कर श्रीवास्तव)

प्रभारी अधिकारी (त0स0-2)
इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
इलाहाबाद


यह स्कीम/निर्माण अनुमति है। पूर्णतः अमान्यता प्राप्त करने के बाद ही इस शीट पर कार्य किया जा सकता है।

सर्वोपर्य 2000-2001 ई. में अमान्यता प्राप्त की गई थी।


मुख्य नगर नियोजक इन्फोर्मेसियन इलाहाबाद

सहायक अभियंता इलाहाबाद


22/05/14




SITE PLAN




GROUND FLOOR PLAN




FIRST FLOOR PLAN




SECOND FLOOR PLAN




FRONT ELEVATION




SECTION OF STAIR CASE




SECTION AT A-B



COL. PLAN



SECTION OF FOUNDATION



BASEMENT PLAN

INDEX
Compounding Sheet No. 24

NOTE :-
SANCTION / EXIST. WORK SHOWN THUS -
COMPOUNDING AREA SHOWN THUS -
NON-COMPOUNDING AREA SHOWN THUS -

SCHEDULE	OF	DOOR	WINDOW	& VENT.
1	DOOR	D1	1200X2400	
2	DOOR	D2	900X2100	
3	DOOR	D3	750X2100	
4	WINDOW	W1	4000X2400	
5	WINDOW	W2	1200X1650	
6	VENT.	V	750X600	

THIS IS TO CERTIFIED THAT THIS MAP IS ACCORDING TO BUILDING BYE LAWS AND ALLAHABAD MASTER PLAN - 2021

AREA DETAIL :-	COMPOUNDED AREA	EXISTING COMP. AREA (TOTAL)
TOTAL AREA OF PLOT	= 249.59 SQ. MT.	-
ROAD WINDING	= 32.00 "	-
ENGROUCHMENT AREA	= 17.92 "	-
NET AREA	= 199.67 "	-
EXIST. COVD. AREA ON BASEMENT FLOOR	= 45.28 "	53.58
EXIST. COVD. AREA ON GROUND FLOOR	= 59.90 "	78.40
EXIST. COVD. AREA ON FIRST FLOOR	= 59.90 "	78.40
EXIST. COVD. AREA ON SECOND FLOOR	= 59.90 "	78.40
OPEN AREA	= 139.77 "	-
MUMTY AREA	= 10.69 "	-
COMPOUNDED AREA CALCULATION	F.S.B.	S.S.B.
BASEMENT FLOOR	NIL	0.5X4.15 = 2.075 SQ.M
GROUND FLOOR + FLOOR	NIL	3.75X5.20 X2 = 39.00 SQ.M
SECOND FLOOR	NIL	3.75X5.20 = 19.50 SQ.M
TOTAL COMP. AREA	NIL	58.50 SQ.M
TOTAL NON COMP. (G.F.+F.F.+S.F.)	= 3.75 X 5.20 = 19.50 SQ.M X 3 = 55.50 SQ.M	
	(4.50 X 5.20) = 23.40	(19.50 + 23.40) = 42.90

SIG. OF ENG.

SIG. OWNER

OWNER :-
SRI. RAVINDRA KUMAR
S/O - LATE SARJU PRASAD

ANIL KUMAR SINGH
REGISTERED ENGINEER
MEMBERSHIP No. M128582-4
ASSOCIATION OF ENGINEERS (INDIA)